कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या-एम०ई०-3/2024/ 1286 लखनऊ:दिनांक 18 जून,2025

यू०पी० नीट एम०डी०एस०-2025 की ऑनलाइन काउन्सिलिंग के संबंध मे महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

- यू०पी० नीट एम०डी०एस०-2025 की ऑनलाइन काउसिलिंग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित तकनीकी संस्था राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) के सहयोग से **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०** द्वारा करायी जायेगी। किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति के स्तर पर लिए गये प्रवेश पूर्णरूप से अवैध है, जिसका उत्तरदायित्व महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० का नहीं होगा।

- किसी भी अनाधिकृत संस्था / व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर पर लिए गये समस्त प्रवेश पूर्णरूप से अवैध माने जायेंगे। यदि भविष्य में ऐसे अनाधिकृत प्रवेश के संबंध मे इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा। जिसके लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- एन०बी०ई०एम०एस० द्वारा आयोजित नीट एम०डी०एस०-2025 परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू०पी० नीट एम०डी०एस०-2025 काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।

- **निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सम्बन्धित कालेज के बारे में स्वयं सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त कर ले साथ ही निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी स्टाइपेण्ड के सम्बन्ध में सम्बन्धित कालेज से अपने स्तर से जानकारी प्राप्त कर लें।**

- उत्तर प्रदेश के **अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग** (ई०डब्ल्यू०एस०) हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2025 अथवा इसके बाद का निर्गत आरक्षण प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र उ०प्र० शासन द्वारा अद्यतन प्रारूप पर निर्गत करा लें, जिससे कि प्रमाण-पत्र के ऑनलाइन सत्यापन सुविधाजनक रूप से हो सकें।

- **आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण-पत्र (दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ०प्र० के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।**

- **भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।**

- उ०प्र० राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जायेंगे।

- दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एम०सी०सी०/ एन०एम०सी० द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित केन्द्रो से निर्गत एवं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।

- यू०पी० नीट एम०डी०एस०-2025 के ऑनलाइन काउन्सिलिंग से सम्बन्धित शासनादेश, ब्रोशर तथा अन्य समस्त सूचनायें विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.gov.in तथा www.upneet.gov.in पर प्रदर्शित है, जिसका अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अवलोकन किया जा सकता है।

(आलोक कुमार)
अपर निदेशक